

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उर सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमति चन्द्रकली शर्मा 2. वर्तमान धारित पद डिप्टी

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख 2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें रूपरि स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, वंशक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
				No. 10		

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे नामों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रधान श्रेणी तथा श्रेणी श्रेणी सेवा के प्रत्येक स्तर से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय यह जोड़ना-पूरा कर कर प्रत्येक स्तर पर उसमें वह उनके स्वाभिव्य की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या वंशक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर चन्द्रकली शर्मा

नाम चन्द्रकली शर्मा

पद डिप्टी

विभाग उप-विभागीय कमिश्नरियाल